HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 7985/2026
CNR: RJHC010584332026
URN: CRLMB / 17399U / 2026

Hanuman S/o Babu Lal, Aged About 35 Years, R/o Village Jud, Tehsil Tinwari, District Jodhpur, Rajasthan

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Hemant Jangir
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP Mr. Hitesh Vishnoi

---

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

<u>Order</u>

<u>08/07/2026</u>

01. प्रार्थी की ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना करवड़, जिला जोधपुर सिटी पूर्व में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 16/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 126(2), 115(2), 189(2), 111(2)(बी) व 119(1) भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत हुआ है।

02. मैंने बहस अग्रिम जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थी–अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता का तर्क रहा कि इस मामले में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। मुस्तगीस व अभियुक्तगण के मध्य लिखित राजीनामा किया गया है। राजीनामे की प्रति पेश कर बताया कि कोई बरामदगी नहीं होनी है। प्रार्थी–अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है। गिरफ्तार कर कोई पूछताछ करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होना बताते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया। विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस द्वारा पक्षकारान के मध्य राजीनामा होना स्वीकार किया तथा प्रार्थी–अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने में अनापत्ति प्रकट की।

RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

05. अग्रिम जमानत आवेदन पर मनन किया, केस डायरी का अवलोकन किया। बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व परिस्थितियों में इस न्यायालय की राय में प्रार्थी–अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित होगा।

06. परिणामतः अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी–अभियुक्त **हनुमान पुत्र बाबूलाल** को उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रकरण में गिरफ्तार करने की स्थिति में गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की संतुष्टि अनुसार एक लाख रूपये का मुचलका एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानत निम्न शर्तों सहित पेश करने पर जमानत पर रिहा कर दिया जाये :–

1. यह कि प्रार्थी पुलिस द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा,
2. यह कि प्रार्थी उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष कि ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा,
3. यह कि प्रार्थी न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

69/Divyashri Maru/677